न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विष्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2026-231RAABarmer2026-112RTA223 Imam Vs Salakh etc

232RAABarmer2026-113RTA223 Imam Vs Salakh etc 2026-

ईमाम पुत्र सतार जाति मुसलमान निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. सालख पुत्र रसीद
2. खान मोहम्मद पुत्र रहमान
3. हामीद पुत्र रहमान

   जाति मुसलमान निवासी धोबली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
4. यासिनखां पुत्र अहमदखां जाति मुसलमान निवासी धोबली तहसील सिणधरी जिला बाडमेर।
5. मोहीब पुत्र रसीद
6. खमीशा पुत्र सतार
7. जाकूब पुत्र सतार
8. जीया पुत्र सतार
9. वहिया पुत्र सतार
10. वाहिद पुत्र सतार

    जाति मुसलमान निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
11. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 दिसंबर 2024 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी राजस्व मूल वाद संख्या 109/2022 अनवान सालख व अन्य बनाम मोहिब इत्यादि

---

02. 2026-232RAABarmer2026-113RTA223 Imam Vs Salakh etc

ईमाम पुत्र सतार जाति मुसलमान निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. सालख पुत्र रसीद
2. खान मोहम्मद पुत्र रहमान
3. हामीद पुत्र रहमान

   जाति मुसलमान निवासी धोबली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
4. यासिनखां पुत्र अहमदखां जाति मुसलमान निवासी धोबली तहसील सिणधरी जिला बाडमेर।
5. मोहीब पुत्र रसीद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

6. खमीशा पुत्र सतार
7. जाकूब पुत्र सतार
8. जीया पुत्र सतार
9. वहिया पुत्र सतार
10. वाहिद पुत्र सतार

जाति मुसलमान निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

11. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25 फरवरी 2026 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी राजस्व मूल वाद संख्या 109/2022 अनवान सालख व अन्य बनाम मोहिब इत्यादि

उपस्थित–
श्री सुरेश कुमार चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

नि र्ण य

दिनांक : 03 जून 2026

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 109/2022 अनवान सालख व अन्य बनाम मोहिब इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 दिसंबर 2024तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25 फरवरी 2026 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः दिनांक 06 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत की है।

अपील संख्या 112/2026 के अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति, पक्षकारान् समान होने तथा एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से निर्णय की एकरूपता हेतु एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील के साथ एक–एक निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 130 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 12.9602 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 10. 2015 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 7.0140 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262/2 रकबा 0.5259 हैक्टेयर मौजा धोबली पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 दिसंबर 2024 के जरिये वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपीलांट द्वारा अपील संख्या 112/2026 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25 फरवरी 2026 के पारित किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील संख्या 62/2025 प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दोनो अपीलो में अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना पोस्टल रसीदात के आधार पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उसे जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। अपीलांट्स की ओर से एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को रिकॉल करने के लिए आदेश 09 नियम 07 व 13 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किये, जिसे भी विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत अपीलांट से जबाबदावा लिये बिना, दावा व जबाबदावा के आधार विवाद्यक कायम किये बिना व बिना विवाद्यकों पर दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये, बिना साक्ष्यों का परीक्षण करवाये, आरग्यूमेन्ट (बहस) पेश करने का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुउपस्थिति में पत्रावली का बिना अवलोकन किये आनन–फानन में वादीगण के प्रभाव में रहकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जल्दबाजी से एक पक्षीय व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में मौखिक बंटवाड़े के विपरीत तैयार किया गया है तथा वक्त विभाजन मौके पर कोई भी राजस्व कर्मचारी नहीं आया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये गये है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के अनुरूप नही होने से निरस्त योग्य है।

अपील संख्या 112/2026 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री कानून व क्षेत्राधिकार से परे जाकर एंव राजस्व नियमों एव वाद प्रकिया की अनदेखी कर बिना किसी पक्ष को सुने पारित की गई है, जिसका अपीलान्ट को पूर्व में कोई ज्ञान नही था। वादीगण द्वारा हल्का पटवारी के जरिये अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने पर अपीलांट द्वारा कारण पूछा गया तो पटवारी हल्का द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी होने की जानकारी दी गई। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एवं डिक्री की नकले प्राप्त कर जानकारी से हस्तगत अपील म्याद पेश की गई है। अपीलान्ट ने जान–बूझकर के देरी नहीं की। ज्ञान के अभाव में हुई देरी सद्भाविक रूप से हुई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील संख्या 112/2026 अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर दोनो अपीले स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 109/2022 अनवान सालख व अन्य बनाम मोहिब इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 दिसंबर 2024तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25 फरवरी 2026 को निरस्त फरमाया जावे एवं मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील संख्या 112/2026 को प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 130 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 12.9602 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 10. 2015 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 7.0140 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262/2 रकबा 0.5259 हैक्टेयर मौजा धोबली पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल/परिवर्तन नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा भीं हक हिस्से परिवर्तित होने के संबंध में किसी प्रकार के कथन नहीं किये गये है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.10.2025 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार सिणधरी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलार्थी को सम्यक रूप से सूचित किये बिना, उसकी अनुपस्थिति में मौके पर पक्षकारान् के वर्तमान कब्जे काश्त को ध्यान में रखे बिना अपीलार्थी के कब्जे काष्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 दिसंबर 2024 विधिसम्मत पाये जाने से उसके विरूद्ध अपील अपील संख्या 112/2026 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 113/2026 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 109/2022 अनवान सालख व अन्य बनाम मोहिब इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25 फरवरी 2026 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार सिणधरी स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए तथा अपीलांट सहित सभी पक्षकारान् की जोत का विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का विधिनुसार अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर